



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122021-231712
CG-DL-E-08122021-231712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4717]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943

No. 4717]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5091(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (नगर महापालिका), प्रयागराज (NH731A) के कि.मी. 35 से 64.682 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH731A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सक्षम प्राधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (नगर महापालिका), प्रयागराज	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH731A के कि.मी. 35 से 64.682 तक	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	सोरांव	1 श्यामपुर

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21/]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5091(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 35 to 64.682 of -Special land acquisition (NMP) Prayagraj Room no-30,Teshil-Sadar, campus, Prayagraj. (NH731A) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH731A in the State of UTTAR PRADESH

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Competent Authority/ Special Land Acquisition Officer (Nagar Mahapalika), Prayagraj	35KM To 64.682KM	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	Soraon	1 Shyampur

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21/]

RAJESH GUPTA, Director